न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–464 / 2026
(चरकापत्थर थाना कांड संख्या 07 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नमित कुमार सिंह उर्फ नमित सिंह बनाम राज्य सरकार

आदेश

21.04.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. नमित कुमार सिंह उर्फ नमित सिंह** साकिन महेश्वरी, थाना–चरकापत्थर, जिला–जमुई, चरकापत्थर थाना कांड संख्या 07 / 2026 में धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत गिरफतारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश रावत तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.26 को 4:30 बजे शाम में अमित सिंह पे0 जशवंत सिंह, जसवंत सिंह पे0 मोती सिंह, राधे सिंह पे0 दीनबंधु सिंह, सरलू सिंह पे0 नुनुराम सिंह सा0 महेश्वरी ने मिलकर सूचक को गाली गलौज करते हुये लोहा का कुर्सी उठाकर सूचक का माथा पर मारा जिससे माथ फट गया, खून बहने लगा। उसी क्रम में गला से सोना का चैन छीन लिया। ये सभी मनबढ़ु किस्म का आदमी है तथा धमकी दिया कि जान से मार कर फेंक देंगे।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए, निवेदन करते है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा वर्तमान आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के तहत न तो इस सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को 35(5) बी0एन0एस0एस का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, गांव की गंदी राजनीति के कारण आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। यह कि प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक पर किसी को भी जान से मारने की धमकी का सीधा एवं स्पष्ट आरोप नहीं है इसलिए आवेदक पर धारा 109(1) बी0एन0एस0 नहीं बनता है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक पर किसी को भी गंभीर जख्म पहुँचाने या सामान चुराने का कोई स्पष्ट एवं सीधा आरोप नहीं है इसलिए धारा 303 बी0एन0एस0 आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। यह कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के आपस में गोतिया हैं। यह कि दोनों पक्षों के बीच गेहूँ तथा सरसो की फसल को पशु से चराने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह कि आवेदक को इस झूठे वाद में गलत तथा दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है आवेदक

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–464 / 2026
(चरकापत्थर थाना कांड संख्या 07 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नमित कुमार सिंह उर्फ नमित सिंह बनाम राज्य सरकार

–लगातार–
21.04.2026

का नाम इस वाद में अनुसंधान के क्रम में आया है तथा प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 3(5) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अभी तक के वाद दैनिकी की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। प्राथमिकी में आरोप है कि सूचक अमोद सिंह को दिनांक 19.01.2026 को समय 04:30 बजे शाम में अमित सिंह, जसवंत सिंह, राधे सिंह, सरलू सिंह ने मिलकर गाली गलौज करते हुये लोहा की कुर्सी उठाकर सूचक के मॉथा पर मारा जिससे मॉथा फूट गया खून बहने लगा, उसी क्रम में गला से सोना का चेन छीन लिया, ये सभी मनबढू किस्म का आदमी है तथा धमकी दिया कि जान से मार कर फेंक देंगे। वाद दैनिकी की कंडिका 4 में वादी का पुनः बयान है। पुनः बयान में इन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 5 में साक्षी किशोर सिंह ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुये बयान दिया है कि दिनांक 19.01.2025 को हम सोनो से घर जा रहे थे जैसे ही महेश्वरी चौक के पास पहुँचा तो देखा कि दुर्गा मंदिर के बगल में भीड़ लगी हुई है हम भी वहॉ गया तो देखा कि मेरा भाई बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। आस पास के लोगों से पूछे तो कोई कुछ नहीं बताया तभी मेरा भाई होश में आया और हमसे बोला कि हम चाय पीने महिश्वरी दुर्गा देवी मंदिर आये थे तभी दो व्यक्ति राधे सिंह एवं शंभू सिंह मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया और अमित सिंह अपने हाथ में कुर्सी लेते हुये गाली देते हुये आया, जशवंत सिंह आये गाली गलौज करते हुये मेरा कॉलर पकड़ लिया तभी अमित सिंह ने हाथ में लिये कुर्सी हमारे सर पर चला दिया, लोहा का कुर्सी होने के कारण मेरा सर फट गया और चारो मिलकर बुरी तरह से मारपीट किया। जबकि वाद दैनिकी की कंडिका 11 में स्वतंत्र साक्षी शिवराज सिंह ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 19.01.2026 समय करीब 04:30 बजे शाम में हम महेश्वरी दुर्गा मंदिर चौक पर घर का सामान खरीदने आये थे, तभी देखा कि वादी अमोद सिंह, अरविन्द्र सिंह के बंद दुकान में चार्ट के आगे खड़ा होकर नमित सिंह को अनाप सनाप बक रहा था, तभी नामित सिंह वादी को मना किया तो वादी अमोद सिंह गाली देना शुरू कर दिया, तो नामित सिंह जिस कुर्सी पर बैठे थे, वह प्लास्टिक की कुसी वादी के उपर नमित सिंह ने चला दिया। प्लास्टिक की कुर्सी से वादी के सर पर लग गया और खून बहने लगा। तभी राधे सिंह, सरलू सिंह, जशवंत सिंह झगड़ा को शांत किया। राधे सिंह और सरलू सिंह ने वादी अमोद सिंह को पकड़ कर हटा दिये। अमित सिंह पिता जशवंत सिंह घर पर नहीं रहते है, वे बाहर कलकत्ता में काम करते है। अमित सिंह को झगड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। वह घटना के दिन के पहले से कलकत्ता में काम कर रहे थे। नामित सिंह से ही झगड़ा हुआ है। वादी द्वारा गलत फहमी में नाम अमित सिंह पे0 जशवंत सिंह दे दिया। वाद दैनिकी की कंडिका 12 में साक्षी काजल कुमार ने साक्ष्य में कहा है कि नामित सिंह ने अमोद सिंह को बयान वाजी और ओलबोल करने से मना किया तो वादी नामित सिंह को गाली देने लगा, तो प्लास्टिक के कुर्सी से जिस पर नामित सिंह बैठे थे, वादी अमोद सिंह पर चला दिये, जो अमोद सिंह के सर पर लग गया। झगड़ा को देखकर आये राधे सिंह, सरलू सिंह, जशवंत सिंह, नमित सिंह को हटा दिये, झगड़ा नामित सिंह और वादी अमोद सिंह के साथ हुआ है, अन्य तीन व्यक्ति झगड़ा को शांत कराये हैं।

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–464 / 2026
(चरकापत्थर थाना कांड संख्या 07 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नमित कुमार सिंह उर्फ नमित सिंह बनाम राज्य सरकार

–लगातार–
21.04.2026

वे झगड़ा में शामिल नहीं थे तथा अमोद सिंह को नहीं मारे हैं। कांड में बनाये गये अभियुक्त अमित सिंह, पिता जशवंत सिंह झगड़ा में नहीं था। अमित सिंह बहुत दिनों से कलकत्ता में काम कर रहें है। अमित सिंह का झगड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। वादी द्वारा नामित सिंह के जगह गलत फहमी में अमित सिंह का नाम दे दिया था। वाद दैनिकी की कंडिका 18 के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के अतिरिक्त आवेदक का अन्य कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सूचक अपने प्राथमिकी तथा फर्द ब्यान में लोहे की कुर्सी द्वारा मारने की बात कहा है जबकि साक्षी शिवराज सिंह वाद दैनिकी की कंडिका 11 में तथा साक्षी काजल कुमार सिंह ने वाद दैनिकी की कंडिका 12 में अपने ब्यान में कहा है कि नामित सिंह जिस कुर्सी पर बैठे थे उसी प्लास्टिक की कुर्सी को उठाकर सूचक अमोद सिंह के सिर पर चला दिया। जबकि ये दोनों साक्षी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिससे सूचक तथा इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास प्रतीत होता है। वाद दैनिकी की कंडिका 19 एवं 20 में जख्म प्रतिवेदन एवं अंतिम जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सूचक अमोद सिंह के सभी जख्म साधारण प्रकृति के हैं। वाद का अनुसंधान अभी जारी है। इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः इस आदेश से 30 दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा स्वयं न्यायालय से आत्मसर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने पर तथा आवेदकगण द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों का पालन करने पर तथा निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्ते–

1. आवेदक पुलिस को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे।
2. आवेदक पुलिस तथा न्यायालय द्वारा जब और जिस स्थान एवं समय पर बुलाया जायेगा, बिना चूक के उपस्थित रहेंगे।
3. जमानतदारों के पास स्थायी सम्पत्ति तथा उसका कागजात होना आवश्यक है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।